(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2072 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-3-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 168/11-12/अपील.

बृजलाल पुत्र दुल्ली
निवासी ग्राम रामपुरा
हाल निवासी घमण्डी का पुरा
तहसील व जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

1. गुरूमेल सिंह पुत्र हरीसिंह
निवासी हनुमान कालौनी
गोला का मन्दिर, ग्वालियर
2. श्री गुरू तेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर
द्वारा सचिव
तेजेन्द्रपाल सिंह पुत्र सरदार हरदत्त सिंह
निवासी नौगजा रोड, लश्कर, ग्वालियर
3. म. प्र. शासन ....अनावेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2
श्री आशीष सारस्वत, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा तहसील ग्वालियर स्थित प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 364/1 रकबा 2.290 हेकटेयर में से 6 बीघा भूमि आवेदक बृजलाल द्वारा अनावेदक

क्रमांक 2 के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया, जिसका पालन आवेदक द्वारा नहीं करने पर अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र का पालन कराये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 एवं आवेदक द्वारा राजीनामा किया जाकर, उनके मध्य विक्रय पत्र सम्पादित हुआ । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 गुरूमेल सिंह के हक में भूमिस्वामी आवेदक द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण किया जा चुका है । ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश राजस्व मण्डल तक यथावत रखा गया । प्रकरण प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ग्वालियर वृत्त 3 रायरू द्वारा दिनांक 30-8-2010 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में पारित नामांतरण निरस्त किया जाकर, अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष पृथक-पृथक दो प्रथम अपीलें प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरण क्रमांक 240/2009-10/अपील एवं 241/2009-10/अपील में दिनांक 20-10-2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय किये जाने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए उक्त भूमि पुन: पट्टाधारी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 168/11-12/अपील एवं अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरणों में दिनांक 22-3-2017 को एकसाथ आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह स्वीकृत तथ्या था कि आवेदक को दिनांक 1-10-74 को विवादित भूमि सहित सर्वे सर्वे क्रमांक 364/1 रकबा 2.290 हेक्टेयर का पट्टा भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रदान किया गया था । आवेदक दिनांक 1-10-74 को हुए पट्टे के 10 वर्ष पश्चात विधि के प्रभाव

से विवादित भूमि का भूमिस्वामी हो गया था और आवेदक को नायब तहसीलदार ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/1988-89/अ-19(1) आदेश दिनांक 3-1-89 से विवादित भूमि सर्वे नम्बर 364 पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे, इसलिए विवादित भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने पर उसे अपने स्वामित्व की भूमि को अंतरित करने का पूर्ण अधिकार था ।

(2) आवेदक को रूपयों की आवश्यकता होने पर आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 1 से कर्जा लिया तथा रूपयों की सुरक्षा हेतु अनावेदक क्रमांक 1 ने विवादित भूमि की लिखा-पढ़ी आवेदक से अपने नाम करा ली तथा उसके आधार पर ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव पारित करवा कर अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना नामांतरण करा लिया ।

(3) विवादित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 श्री गुरू तेग बहादुर शिक्षा समिति के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 30-11-2002 सम्पादित किया गया था, जिसका पालन नहीं होने पर अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनावेदक क्रमांक 3 शासन भी पक्षकार था । व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 व के हक में बयनामा सम्पादित करने के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 व श्रीमती दीपेन्द्र कौर के हक में बयनामा सम्पादित किया गया है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उक्त बयनामा के आधार पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन लिया गया । पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विवादित भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 गुरूमेल सिंह का नामांतरण हो चुका है । अनावेदक क्रमांक 1 के नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम व द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण आदेश निरस्त किया तथा इस न्यायालय द्वारा भी अनावेदक क्रमांक 1 की निगरानी निरस्त की गई है ।

(5) आवेदक को विवादित भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में संहिता की धारा 165 (7-ख) तथा संहिता की धारा 158 (3) के संबंध में विधि विरूद्ध निष्कर्ष निकाले हैं, क्योंकि संहिता की धारा 158 (3) व 165 (7-ख) में जो संशोधन हुआ है, वह 28 अक्टूबर 1992 में किया गया है और उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है, इसलिए 28 अक्टूबर 1992 के पश्चात के अंतरणों पर ही 10 वर्ष पश्चात अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता बताई गई है, इस बिन्दु को समझे बिना अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।

(6) अभिलेख से स्पष्ट था कि आवेदक को पट्टा दिनांक 1-10-74 को प्रदान किया गया था और उक्त दिनांक के 10 वर्ष पश्चात अक्टूबर 1984 को उसे सम्पूर्ण भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार संशोधन के पूर्व किये गये अंतरणों पर संशोधन के पश्चात संहिता की धारा 158 (3) व संहिता की धारा 165 (7-ख) की संशोधित धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस तर्क के समर्थन में 2013 आर.एन. 8 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(7) व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आवेदक को भूमिस्वामी माना है तथा पट्टे की अवधि 10 वर्ष पश्चात भूमि भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने पर ही व्यवहार न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई थीं, जिसमें आवेदक द्वारा विक्रेताओं के हित में किये गये अंतरणों के अनुबंध पत्र को वैध ठहराया गया था । व्यवहार न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 3 म.प्र. शासन पक्षकार रहा है । यदि म.प्र. शासन को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो वह व्यवहार न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता था । व्यवहार न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 3 शासन द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है अर्थात आवेदक को विवादित भूमि का भूमिस्वामी मान्य किया गया था ।

(8) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जिन न्यायिक दृष्टान्तों 2011 आर.एन. 313, 2002 आर.एन. 95 तथा 2009 आर.एन. 187 को आधार मानकर आदेश पारित किया है, वे न्याय दृष्टान्त आवेदक के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त न्याय दृष्टान्त वर्ष 1992 में हुए सशोधन के पश्चात किये गये अंतरणों के संबंध में हैं ।

(9) आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के हित में हुए अनुबंध पत्र दिनांक 30-11-2002 को विवादित भूमि का भूमिस्वामी था, इसलिए उसे अपने स्वत्व, स्वामित्व की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था, किन्तु अपीलीय न्यायालयों ने विवादित भूमि को पट्टे की भूमि मानकर अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण आदेश निरस्त करने में कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायलयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) ग्राम रामपुरा तहसील ग्वालियर स्थित सर्वे क्रमांक 364 रकबा 11 बीघा काबिल कास्त भूमि आवेदक बृजलाल के आधिपत्य में लम्बे समय से होने के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक को दिया जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया गया ।

(2) आवेदक बृजलाल द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11-2-2002 के माध्यम से उक्त प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के हक में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत रामपुरा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 6 दिनांक 7-7-2004 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्रमांक 1 का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित हुआ है । इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 1 को स्वत्व अर्जित हो चुके थे और आवेदक के सारे अधिकार व स्वत्व दिनांक 11-2-2002 को ही समाप्त समाप्त हो चुके थे और राजस्व अभिलेखों में अनावेदक क्रमांक 1 बहैसियत भूमिस्वामी होकर मौके पर आधिपत्यधारी था ।

(3) आवेदक का उक्त भूमि पर दिनांक 11-2-2002 को ही स्वत्व समाप्त हो चुके थे, क्योकि उसके द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र अनावेदक क्रमांक 1 के हक में कर देने के कारण प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर आवेदक का कोई हित नहीं थे और न ही उसे उक्त सम्पत्ति विक्रय करने का अधिकार था । अतः आवेदक द्वारा दिनांक 13-11-2002 को अनावेदक क्रमांक 2 श्री तेग बहादुर शिक्षा समिति के हक में जो अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया है, उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित करने का अधिकार नहीं है ।

(4) आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 से रूपये लिये जाने के संबंध में तहसील न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र सम्पादित किया है एवं गवाहो के समक्ष विक्रय धन प्राप्त करना स्वीकार करते हुए विक्रय पत्र सम्पादित किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने हेतु आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई । आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से मिलकर फर्जी एवं गलत तरीके से आवेदक अनपढ़ व्यक्ति है, उसका फायदा उठाकर रजिस्ट्री कराने की बात कही गई है ।

(5) आवेदक को अनावेदक क्रमांक 2 के हक में दिनांक 30-11-2002 को अनुबंध पत्र निष्पादित करने का अधिकार ही नहीं था तब आवेदक द्वारा किया गया विक्रय अनुबंध पत्र अवैध एवं शून्य होने से उसके आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की सहायता आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा न्यायालय से नहीं चाहे जाने तथा व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 25ए/2004 ई.दी. में पक्षकार बनाये बिना न्यायालय को भ्रमित कर जो डिक्री प्राप्त की गई है । उक्त डिक्री के आधार पर आवेदक व अनावेदक क्रमांक 2 को अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध किसी

भी प्रकार की सहायता प्रदाय नहीं किये जा सकने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अनावेदक क्रमांक 2 को विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार उक्त भूमि पर स्वत्व व अधिकार प्राप्त न होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया नामांतरण आदेश अवैध व शून्य होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण आदेश निरस्त किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 का विक्रय पत्र पूर्व का होने से तथा जिस दिनांक को डिक्री पारित की गई है, उक्त दिनांक को आवेदक उक्त भूमि का भूमिस्वामी नहीं होने के कारण अनावेदक क्रमांक 1 नामांतरण कराने का अधिकारी है, अतः अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया जाये ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण आदेश अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिकार्ड से यह पाते हुए कि आवेदक को उक्त भूमि पर दिनांक 11-2-2002 को ही सारे हक समाप्त हो चुके थे, इसलिए आवेदक को उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होने से अनावेदक क्रमांक 2 के हक में किये गये नामांतरण निरस्त करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की गई है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 1 के हक में किया गया नामांतरण आदेश 7-7-2004 स्थिर रखने के आदेश दिये जायें ।

(8) राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है और अनावेदक क्रमांक 1 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा व्रूवहार न्यायालय का निर्णय दिनांक 26-8-2004 में अनावेदक क्रमांक 1 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण स्वीकार किया जाये ।

(9) आवेदक को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के संबंध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में राजस्व मण्डल तक प्रकरण चला था ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पट्टेदार आवेदक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये पट्टे की भूमि का

विक्रय किया गया है, जबकि बिना सक्षम अधिकारी के पट्टे की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद राजीनामा के आधार पर समाप्त हुआ है, इसलिए शासन पर बंधनकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण किये जाने के संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपीलीय न्यायालयों का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रथमतः मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या पट्टे पर प्राप्त भूमि का अन्तरण कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किया जा सकता है अथवा नहीं । द्वितीय यह कि क्या व्यवहार न्यायालय का आदेश अनावेदक क्रमांक 3 शासन पर बंधनकारी है अथवा नहीं । इस संबंध में प्रथमतः यह बिन्दु निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जिसका अंतरण आवेदक द्वारा कलेक्टर की बगैर अनुमति के किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पट्टे की भूमि के अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है, भले ही पटटे की भूमि पर विक्रेता को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये हों । इस संबंध में 2002 आर.एन. 95 बुधुवा चमार विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> ''अंतरण का केवल एक ढंग है - अंतरण, कलेक्टर की अपेक्षित अनुज्ञा के अभाव में विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण - विक्रय विलेख विधि की दृष्टि में विधिमान्य नहीं माने जा सकते- अंतरिती कोई अधिकार अथवा हक अर्जित नहीं करते ।''

न्याय दृष्टांत 2011 आर.एन. 313 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आवेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना किये गये अंतरण अकृत, शून्य एवं दोषपूर्ण हैं । अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना तत्समय विक्रय पत्र सम्पादित संभव नहीं था । स्पष्ट है कि जब आवेदक विक्रेता को ही प्रश्नाधीन भूमि के अंतरण का अधिकार नहीं था, तब अनावेदक क्रमांक 2

क्रेता को स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अतः इस संबंध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार होकर अमान्य किये जाते हैं । जहां तक अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद में पारित आदेश का प्रश्न है । उक्त व्यवहार वाद अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा भूमिस्वामी आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदक क्रमांक 3 शासन को भी पक्षकार बनाया गया है । व्यवहार न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पूर्व ही अनावेदक क्रमांक 2 व आवेदक द्वारा आपसी राजीनामा के आधार पर, बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किये प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया गया एवं उक्त राजीनामा के आधार पर व्यवहार वाद समाप्त करा लिया गया । व्यवहार न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है और न ही अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ व्यवहार न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय/डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है । स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही केवल आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 से संबंधित है, अनावेदक क्रमांक 3 शासन से संबंधित नहीं है, इसलिए व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 पर ही बंधनकारी है । तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना विचार किये एवं दस्तावेजों का परिशीलन किये बिना अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण स्वीकार करने में भूल की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आदेश पारित कर आवेदक द्वारा पट्टे की भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुमति के बिना किये जाने एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र का सम्पादन कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-3-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर